संख्या: 97/2018/ 444/35-3-2018-1(39)/2017

प्रेषक,

राम नरायन सिंह यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-**खीरी** में शासनादेश सख्या: 6/2018/34/35-3-2018-1(39)/2017, दिनांक **19**जनवरी, **2018** द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु रू.**556.57** लाख (रू.पांच करोड़ छप्पन लाख सत्तावन हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये उनके लिये केन्द्रांश के सापेक्ष, प्रथम किश्त के रूप में रू0 333.94 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । एतददवारा निम्नलिखित कार्यो की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये उनके लिये अवशेष देय,**राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में** रू.**222.63**लाख (रू0 दो करोड़ बाइस लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की,श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखंड	क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	राज्यांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग			
पलिया	1	एस0डी0एन0पी0डी0पी0मार्ग(राज्य मार्ग स0-101)कि0मी0-115से इन्द्रानगर होकर नेपाल जाने वाले मार्ग का सडक निर्माण कार्य ल. 560 मी॰	39.25	23.55	15.70
पलिया	2	कृष्णानगर से खैरहनी होते हुए अस्थाई एस.एस.बी. कैम्प तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	59.46	35.68	23.78

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		कार्यल.1.00किमी.			
निघासन	3	कौल्हौरी चौराहे से रामनगर सम्पर्क मार्ग के मध्य छू कडी का निर्माण कार्य ल.1.10 किमी0	84.27	50.56	33.71
निघासन	4	बी.सी.सी.मार्ग केकिमी0-7 गोवर्धनपुरवा सम्पर्क मार्ग के मध्य छूटी कडी का निर्माण कार्य ल.1.00 किमी.	62.13	37.28	24.85
निघासन	5	दरेहटी से बैजनाथपुरवा के मध्य छूटी कडी कानिर्माण कार्य ल.700 मी0	56.02	33.61	22.41
		कार्यदायीसंस्था-ग्रामीणअभियन्त्रण विभाग			
पलिया	1	छोटा मझरा से लाडी के खेत के पास 5गुणे 1.00किमी.रपटा निर्माण कार्य	18.43	11.06	7.37
निघासन	2	सहनखेडा मार्ग पर द्वारिका सेठ के भटटे सेरामनारायनपुरवातक लेपनकार्यल.650 मी.	39.48	23.69	15.79
निघासन	3	बेलापरसुआ के मुख्य मार्ग पर स्कूल के आगे मथुरा व झीरा के खेत के पास रपटा निर्माण कार्य	24.89	14.93	9.96
रमियाबेहड	4	सिन्हौना सडक से बहौरी नदी पर बने रपटे तक पेण्टेड रोड व पुलिया निर्माण कार्य ल0 1.28 किमी0	74.58	44.75	29.83
रमियाबेहड	5	बहौरी नाले पर बने रपटे से दलराजपुर तक पेण्टेड रोड व पुलिया निर्माण कार्यल0 1.110 किमी0	64.72	38.83	25.89
रमियाबेहड	6	खैरिटया से मालागर फार्म होते हुए दलराजपुर मार्ग के नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य 4 गुणे 9मी.	16.67	10.00	6.67
रमियाबेहड	7	खैरिटया में ठकुरन बाग गुरूद्वारा से दरबारा सिंह के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण कार्य	16.67	10.00	6.67
		योग	**556.57**	**333.94**	**222.63**

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 **जनवरी, 2018** की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

2- जिलाधिकारी द्वारा दिवतीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सडक निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की ग्रयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कार्य का निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्व ढंग से **स्वीकृत** लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृदिध अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम सग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/डराइग एवं तकनीकी स्वीकृति समक्ष स्तर से प्राप्त हेाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदरायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुसानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकारण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीक़त कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई- 5-510/दस-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमतिि से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या: 97/2018/ 444(1)/35-3-2018-1(39)/2017-तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. मण्डलायुक्त,लखनऊ मण्डल।
4. महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी(उ0प्र0 इलाहाबाद, महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय)इलाहाबाद ।
5. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ लोक निर्माण अनुभाग-9 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी,खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम नरायन सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।